रविन्द्र सिंह बनाम जसविन्द्र सिंह वगै0

नंबरी दीवानी वाद संख्या – 12/2016 (सीआईएस सं. 12/2016)

10.10.2025

उभय पक्षकारान अनुपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित।

अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 01 ने एक प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पेश किया। जिसकी नकल अधिवक्ता वादी को दिलवायी गई। सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ने माननीय राज. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.09.2025 जो कि रिट संख्या 15981/2025 में पारित किया गया है, को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिये जाने के तथ्य से, हस्तगत प्रार्थनापत्र के जरिये इस न्यायालय को अवगत करवाया है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय से हस्तगत प्रकरण में स्थगन हो, ऐसा अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 01 स्पष्ट नहीं कर पाये हैं। इस प्रकार प्रकरण में आगे अग्रसर होने में कोई विधिक बाध्यता नहीं है।

अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 01 ने 20 हजार रुपये का डी.डी. रजिस्ट्रार जनरल LWFA राज. हाईकोर्ट के नाम से बनवाकर पेश किया तथा बहस अंतिम सुनाना चाहा, जिस पर अधिवक्ता वादी का एतराज रहा कि उन्होंने दिनांक 04.10.2025 को इस विषय पर एतराज जाहिर किया था। अतः प्रतिवादी सं. 1 का कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार के विषय पर वादी के एतराज पर सर्वप्रथम सुना जावे। जिस पर पक्षकारान् को सुना गया।

तारीखपेखी 04.10.2025 को अधिवक्ता वादी ने माननीय राज. उच्च न्यायालय के द्वारा S.B.Civil Writ Petition No. 15981/2025 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुए यह उज्र उठाया था कि प्रतिवादी ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2025 की पालना में विहित अवधि में कोस्ट जमा नहीं करवायी है एवं उक्त आदेश माननीय राज. उच्च न्यायालय के द्वारा S.B.Civil Writ Petition No. 15981/2025 आदेश दिनांक 25.09.2025 के जरिये पुष्ट भी किया जा चुका है। इसलिए प्रतिवादी का कार्यवाही में भाग लिए जाने का अधिकार समाप्त हो गया है। वादी की बहस पूर्ण हो चुकी है। अतः प्रकरण में निर्णय की ओर अग्रसर हुआ जावे।

जिसके जवाब में अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 का तर्क रहा कि उन्होंने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2025 की पालना में आज दिनांक को 20 हजार रुपये का डी.डी. पेश करा दिया है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2025 के विरुद्ध माननीय राज. उच्च न्यायालय ने स्थगन पारित किया था। इसलिए वह उक्त अवधि में कोस्ट जमा नहीं करवा पाये। ऐसी स्थिति में वादी का एतराज सारहीन है, अतः खारिज फरमाया जावे।

सुना गया। प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन किया। पत्रावली के अध्ययन से यह जाहिर होता है कि इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 02.08.2025 के द्वारा, प्रतिवादी की ओर से दिनांक 14.07.2025 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 17 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. को कोस्ट पर खारिज करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया हैः–

''इस प्रकार प्रार्थी / प्रतिवादी का. हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 17 संपठित धारा 151 सीपीसी 20,000/– रूपए, (बीस हजार रूपए मात्र) की कोस्ट पर अस्वीकार किया जाकर, खारिज किया जाता है। उक्त कोस्ट अदायगी वादी के द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही में भाग लिए जाने की पूर्ववर्ती शर्त होगी।

प्रार्थी/वादी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पत्र No. Gen./XV/03/2023/1437 Date: 10.07.2023 की पालना में कोस्ट की राशि डिमाण्ड ड्राफट या बैंकर्स चैक के माध्यम से Ragistrar General LWFA., Rajasthan High Court के बैंक अकाण्ट नंबर 41673952674. (SBI, Jhalamand Branch, Jodhpur) में आगामी तारीख पेशी पर या उससे पूर्व जमा करवाकर रसीद पेश करें।''

इस प्रकार इस न्यायालय के उक्त आदेश के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी को विशिष्ट अवधि में कोस्ट अदायगी किये जाने के आधार पर ही कार्यवाही में आगे भाग लिये जाने का अधिकार प्रदान किया था एवं उक्त आदेश

अपर जिला न्यायाधीश
रा.तगढ़ (श्रीगंगानगर)

पारित किए जाने के पश्चात आगामी तारीखपेशी 11.08.2025 नियत की गई। को पारित किए जाने के पश्चात आगामी तारीखपेशी 11.08.2025 नियत की गई। तारीखपेशी को अधिवक्ता प्रतिवादी ने कोस्ट जमा करवाने के लिए समय चाहा था। तारीखपेशी 11.08.25 को भी अधिवक्ता वादी ने इस बाबत एतराज किया था कि शर्त की पालना नहीं हुई है। उक्त आदेशिका निम्नानुसार है:–

''<u>11.08.2025</u> – **अधिवक्ता उभय पक्षकारान् उपस्थित। अधि. प्रतिवादी ने कोस्ट जमा करवाने के लिए समय चाहा। यहीं अधिवक्ता वादी का एतराज पूर्ववर्ती शर्त की पालना नहीं हुई।**

पत्रावली वास्ते उचित आदेश में दिनांक 25.08.25 को पेश हो''

आगामी तारीखपेशी 25.08.25 को अधिवक्ता प्रतिवादी ने माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा S.B.Civil Writ Petition No. 15981/2025 में दि. 21.08.2025 को पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें माननीय राज. उच्च न्यायालय ने प्रकरण में अंतिम निर्णय पर स्थगन देते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया था:–

''Meanwhile, as an interim measure, in the case petitioner makes final arguments before the learned trial court, the learned trial court shall not pass final order till the next date.''

इस प्रकार माननीय राज. उच्च न्यायालय के उक्त अंतरिम आदेश का ससम्मान अवलोकन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि माननीय राज . उच्च न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण में बहस अंतिम सुने जाने पर किसी भी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नहीं दिया था, बल्कि प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित किए जाने पर ही स्थगन दिया था। लेकिन उक्त दिनांक 25.08.25 को प्रतिवादी की ओर से बहस अंतिम नहीं हुई। तत्पश्चात आगामी तारीखपेशी 30.08.25 तय की गई एवं 30.08.25 को भी प्रतिवादी की ओर से बहस अंतिम नहीं हुई, जिस पर पत्रावली को इंतजार आदेश में दिनांक 15.09.25 में तय किया गया एवं तारीखपेशी 15.09.25 को भी बहस नहीं हुई। जिस पर पत्रावली को इंतजार आगामी आदेश में दिनांक 04.10.25 के लिए नियत किया गया।

तत्पश्चात माननीय राज. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.09.25 के जरिये इस न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.25 को पुष्ट कर दिया एवं माननीय राज. उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करते समय पैरा नंबर 19 व 20 में निम्नानुसार मत प्रकट किया है:–

"<u>Para No. 19</u> – Moreover, the party has not shown any special or exceptional circumstance that would justify the Court using the inherent powers under Section 151 of the CPC. Similarly, the necessary conditions for exercising the Court's power to recall a witness under Order XVIII Rule 17 CPC have also not been met. In the absence of these requirements, the application cannot be sustained. The imposition of costs cannot, in the present facts, be said to be arbitrary or excessive, considering the procedural delays occasioned. The relevant para of K.K. Velusamy (supra) is reproduced hereunder:–

"16. We may add a word of caution. The power under section 151 or Order 18 Rule 17 of the Code is not intended to be used routinely, merely for the asking. If so used, it will defeat the very purpose of various amendments to the Code to expedite trials. But where the application is found to be bona fide and where the additional evidence, oral or documentary, will assist the court to clarify the evidence on the issues and will assist in rendering justice, and the court is satisfied that non-production earlier was for valid and sufficient reasons, the court may exercise its discretion to recall the witnesses or permit the fresh evidence. But if it does so, it should ensure that the process does not become a protracting tactic. The court should firstly award appropriate costs to the other party to compensate for the delay. Secondly the court should take up and complete the case within a fixed time schedule so that the delay is

अपर जिला न्याया...
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

avoided. Thirdly if the application is found to be mischievous, or frivolous, or to cover up negligence or lacunae, it should be rejected with heavy costs. If the application is allowed and the evidence is permitted and ultimately the court finds that evidence was not genuine or relevant and did not warrant the reopening of the caserecalling the witnesses, it can be made a ground for awarding exemplary costs apart from ordering prosecution if it involves fabrication of evidence. If the party had an opportunity to produce such evidence earlier but did not do so or if the evidence already led is clear and unambiguous, or if it comes to the conclusion that the object of the application is merely to protract the proceedings, the court should reject the application. If the evidence sought to be produced is an electronic record, the court may also listen to the recording before granting or rejecting the application."

Para No. 20– In view of the settled law and the facts of this case, no ground for interference is made out. The petition is, therefore, dismissed.''

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.25 के जरिये जो कोस्ट अधिरोपित की थी, उसे माननीय राज. उच्च न्यायालय ने सही माना। तो फिर उक्त तमाम परिस्थितियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिवादी के ऊपर यह विधिक दायित्व था कि वह इस न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.25 का सम्मान करते हुए उक्त आदेश की पालना में आगामी तारीखपेशी से पूर्व या आगामी तारीखपेशी 11.08.25 को आदेशानुसार कोस्ट जमा करवाकर वह प्रकरण में भाग लेकर बहस अंतिम सुनाये जाने के लिए अग्रसर होता, लेकिन प्रतिवादी इस न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.25 की पालना में आगामी तारीखपेशी से पूर्व या आगामी तारीखपेशी 11.08.25 को अधिरोपित की गई कोस्ट जमा करवाने में जहां असफल रहा है, वहीं माननीय राज. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.09.25 की पालना में बहस अंतिम सुनाये जाने के लिए भी अग्रसर नहीं हुआ है।

इस प्रकार पत्रावली पर जो उक्तानुसार परिस्थितियां प्रकट हो रही हैं उसके विषय में जब विधिक स्थिति का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत **2010 AIR (SC) 508 Manohar Singh Vs. D.S. Sharma & Anr.** के पैरा संख्या 5 व 8 में निम्नानुसार मत प्रकट किया है:–

''Pera No. 05– Section 35B provides that if costs are levied on the plaintiff for causing delay, payment of such costs on the next hearing date, shall be a condition precedent to the further prosecution of the suit by the plaintiff. Similarly, if costs are levied on the defendant for causing delay, payment of such costs on the next date of hearing, shall be a condition precedent to the further prosecution of the defence of the suit by the defendant. This takes us to the meaning of the words "further prosecution of the suit" and "further prosecution of the defence." If the Legislature intended that the suit should be dismissed in the event of non–payment of costs by plaintiff, or that the defence should be struck off and suit should be decreed in the event of non–payment of costs by the defendant, the Legislature would have said so. On the other hand, Legislature statyed in the rule that payment of costs on the next date shall be a condition precedent to the further prosecution of the suit by plaintiff

अपर जिला न्यायाधीश
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(where the plaintiff was ordered to pay such costs), and a condition precedent to the further prosecution of the defence by the defendant (where the defendant was ordered to pay such costs). This would mean that if the costs levied were not paid by the party on whom it is levied, such defaulting party is prohibited from any further participation in the suit. In other words, he ceases to have any further right to participate in the suit and he will not be permitted to let in any further evidence or address arguments. The orther party will of course be permitted to place his evidence and address arguments, and the court will then decide the matter in accordane with law. We therefore reject the contention of the respondents that section 35B contemplates or requires dismissal of the suit as an automatic consequence of non-payment of costs by plaintiff.

<u>Pera no. 8</u>- A conspectus of the above provisions clearly demonstrates that under the scheme of CPC, a suit cannot be dismissed for non-payment of costs. Non-payment of costs results in forfeiture of the right to further prosecute the suit of defence as the case may be. Award of costs, is an alternative available to the court, instead of dispensing with the cross-examination and closing the evidence of the witness. If the costs levied for seeking an adjournment to cross-examine a witness are not paid, the appropriate course is to close the cross-examination of the witness and prohibit the further prosecution of the suit or the defence, as the case may be by the defaulting party."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्तानुसार प्रकट किए गए मत से मार्गदर्शन प्राप्त किया।

इस प्रकार चूंकि इस न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 02.08.25 के जरिये प्रतिवादी सं. 01 पर अधिरोपित की गई 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार) रुपये की कोस्ट को, आगामी तारीखपेशी 11.08.25 से पूर्व या उक्त तारीखपेशी 11.08.25 को जमा करवाने में प्रतिवादी सं. 01 असफल रहा है। तो फिर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रकट किए गए न्यायिक मत की रोशनी में प्रतिवादी सं. 01 का हस्तगत प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही में भाग लिये जाने का अधिकार भी समाप्त किया जाता है। प्रतिवादी सं. 01 द्वारा दिनांक 06.10.2025 को प्रस्तुत डी.डी. मूल ही बाद रसीद प्रतिवादी सं. 01 को लौटाया जावे।

पत्रावली वास्ते मजीद बहस वादी में दिनांक 27.10.25 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)